THE
RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012

(Act No. 22 of 2012)

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 22)

[Enactment Date: 22th May, 2012]

[Enforcement Date: 1st Aug., 2012]

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012

(Act No. 22 of 2012)

Arrangement of Sections

Sec. No.	Title	Page No.
1.	Short title, extent and commencement संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ	4
2.	Definition / परिभाषाएं	4
3.	Notification of Public Hearing Officers, first appellate authority, second appellate authority and revision authority and stipulated time limit / लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और प्राधिकारी पुनरीक्षण तथा नियत समय सीमा की अधिसूचना	6
4.	Right to get opportunity of hearing on complaint within the stipulated time limit / नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार	6
5.	Establishment of Information and Facilitation Centre सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना	6
6.	Appeal / अपील	8
7.	Penalty / शास्ति	11
8.	Revision / पुनरीक्षण	11
9.	Protection of action taken in good faith सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण	11
10.	Bar of jurisdiction of courts न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन	11
11.	Provisions to be in addition to existing laws विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंध	12
12.	Power to make rules / नियम बनाने की शक्ति	12
13.	Removal of difficulties / कठिनाइयों का निराकरण	12

Rajasthan APO 2026

Live + Recorded Course Validity : 06 Months

Complete Syllabus Coverage

Mock Test Series

SubjectWise Practice Set

Recorded + Live

Practice & Revision Sessions

Expert Mentorship (Tansukh Sir)

Bilingual Classes

Linking Support 988 774 6200, 988 774 6465 (Classes)

ENROL NOW

Rajasthan Judiciary (RJS)

Complete Syllabus Coverage

Mock Test Series

SubjectWise Practice Set

Recorded Lectures

Practice & Revision Sessions

Expert Mentorship (Tansukh Sir)

Bilingual Classes

Recorded Course Validity : 24 Months

www.LinkingLaws.com

CLICK HERE TO ENROL NOW

Linking Support 988 774 6200, 988 774 6465 (Classes)

ENROL NOW

THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012
(Act No. 22 of 2012)

[22th May, 2012]

An act to provide the right of hearing to the people within stipulated time limits and to provide for the matters connected therewith and incidental there to.

Be enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows: -

1. Short title, extent and commencement. –

(1) This Act may be called the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in Official Gazette, appoint.

2. Definition.

In this Act, unless the context otherwise requires –

[1][(a) "**complaint**" means any application made by a citizen or a group of citizens to a Public Hearing Officer for seeking any benefit or relief relating to any policy, programme or scheme run in the State by the State Government or the Central Government, or in respect of failure or delay in providing such benefit or relief, or regarding any matter arising out of failure in the functioning or violation of any law, policy, order, programme or scheme in force in the State by, a public authority but does not include grievance relating to the service matters of a public servant, whether serving or retired, or relating to any matter in which any Court or Tribunal has jurisdiction or relating to any appeal pending before a quasi-judicial authority;]

(b) "**right to hearing**" means an opportunity of hearing provided to the citizens on a complaint within the stipulated time limit and right to get information about the decision made in the hearing on the complaint;

(c) "**Public Hearing Officer**" means a Public Hearing Officer notified under section 3;

(d) "**Information and Facilitation Centre**" means an Information and Facilitation Centre, including customer care centre, call centre, help desk and people's support centre established under section 5;

(e) "**public authority**" means the State Government and its departments and includes any authority or body or institution established or constituted by or under any law made by the State Legislature and owned, controlled or substantially financed, directly or indirectly, by the funds provided by the State Government;

(f) "**first appellate authority**" means an officer or authority notified as such under section 3;

(g) "**second appellate authority**" means an officer or authority notified as such under section 3;

1 Subs. by Raj. Act No. 02 of 2014, s. 02 for clause (a) w.e.f. 26-02-2014)

www.LinkingLaws.com

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम संख्यांक 22)

[22th May, 2012]

जनता को नियत समय-सीमाओं के भीतर सुनवाई का अधिकार प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

[1][(क) "**परिवाद**" से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से उदभूत किसी मामले के संबंध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित, या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो, या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अपील से संबंधित, कोई शिकायत सम्मिलित नहीं है;]

(ख) "**सुनवाई का अधिकार**" से नियत समय सीमा के भीतर किसी परिवाद पर नागरिकों- को प्रदत्त सुनवाई का कोई अवसर और परिसुनवाई में किये गये विनिश्चय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ग) "**लोक सुनवाई अधिकारी** " से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई लोक सुनवाई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(घ) "**सूचना और सुगम केन्द्र** " से ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्र को सम्मिलित करते हुए, धारा 5 के अधीन स्थापित कोई सूचना सुगम केन्द्र अभिप्रेत है;

(ङ) "**लोक प्राधिकारी**" से राज्य सरकार और इसके विभाग अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से सारतः वित्त पोषित, कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित है;

(च) "**प्रथम अपील प्राधिकारी** " से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

(छ) "**द्वितीय अपील प्राधिकारी** " से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

---

1 Subs. by Raj. Act No. 02 of 2014, s. 02 for clause (a) w.e.f. 26-02-2014)

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

(h) "**stipulated time limit**" means the maximum time allowed to Public Hearing Officer for providing an opportunity of hearing on a complaint, or to the first appellate authority or the second appellate authority for deciding an appeal, or to the aforesaid authorities for informing the complainant or appellant, as the case may be, of the decision on such complaint or appeal, as the case may be;

(i) "**days**" means the working days, referred to as time limit;

(j) "**decision**" means a decision taken on a complaint or appeal or revision by the Public Hearing Officer or appellate authority or revision authority notified under this Act and includes the information sent to the complainant or the appellant, as the case may be;

(k) "**prescribed**" means prescribed by the rules made under this Act; and

(l) "**State Government**" means the Government of Rajasthan.

3. Notification of Public Hearing Officers, first appellate authority, second appellate authority and revision authority and stipulated time limit

The State Government may notify from time to time, the Public Hearing Officer, first appellate authority, second appellate authority and revision authority and stipulated time limits.

4. Right to get opportunity of hearing on complaint within the stipulated time limit.

(1) The Public Hearing Officer shall provide an opportunity of hearing on a complaint filed under this Act within the stipulated time limit.

(2) The Public Hearing Officer may seek the assistance of any other officer or employee as he considers it necessary for the proper discharge of his duties under sub-section (1).

(3) Any officer or employee, whose assistance has been sought under sub-section (2), shall render all assistance to the Public Hearing Officer seeking his assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer or employee, as the case may be, shall be treated a Public Hearing Officer.

(4) The stipulated time limit shall start from the date when a complaint is filed to the Public Hearing Officer or to a person authorized by him to receive the complaints. Receipt of a complaint shall be duly acknowledged.

(5) The Public Hearing Officer on receipt of a complaint under sub-section (1) shall, within the stipulated time limit, provide an opportunity of hearing to the complainant and after hearing the complainant, decide the complaint either by accepting it or by referring it to an authority competent to grant the benefit or relief sought for or by suggesting an alternative benefit or relief available under any other law, policy, order, programme or scheme or by rejecting it for the reasons to be recorded in writing and shall communicate his decision on the complaint to the complainant within the stipulated time limit.

5. Establishment of Information and Facilitation Centre –

(1) For the purposes of the efficient and effective redressal of grievance of the people and to receive complaints under this Act, the State Government shall establish Information and Facilitation Centers which may include establishment of customer care centers, call centers, help desks and people's support centers.

www.LinkingLaws.com

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

(ज) "**नियम समय-सीमा** " से किसी परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को, या किसी अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपील प्राधिकारी या द्वितीय अपील प्राधिकारी को, या परिवादी या, यथास्थिति, अपीलार्थी को ऐसे परिवाद या, यथास्थिति, अपील के विनिश्चय के बारे में सूचित करने के लिए पूर्वोक्त प्राधिकारियों को, अनुज्ञात अधिकतम समय सीमा अभिप्रेत है;

(झ) "**दिवस**" से समय-सीमा के रूप में निर्दिष्ट कार्य दिवस अभिप्रेत है;

(ञ) “**विनिश्चय**” से अधिनियम के अधीन अधिसूचित लोक सुनवाई अधिकारी या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी परिवाद या अपील या पुनरीक्षण पर किया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है और इसमें परिवादी या यथास्थिति, अपीलार्थी को भेजी गई सूचना सम्मिलित है;

(ट) “**विहित**” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य **सरकार**" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और प्राधिकारी पुनरीक्षण तथा नियत समय सीमा की अधिसूचना

राज्य सरकार समय-समय पर, लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा नियत समय-सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।

4. नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार

(1) लोक सुनवाई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन फाइल किये गये किसी परिवाद पर नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(2) लोक सुनवाई अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता मांग सकेगा, जिसे वह उप-धारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी सहायता की मांग उप-धारा (2) के अधीन की गयी है, उसकी सहायता मांगने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को समस्त सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसा अन्य अधिकारी या, यथास्थिति, कर्मचारी लोक सुनवाई अधिकारी माना जायेगा ।

(4) नियत समय-सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसको कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को या परिवाद प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को फाइल किया जाता है। परिवाद की प्राप्ति की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(5) लोक सुनवाई अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर नियत समय- सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और परिवादी को सुनने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार करते हुए या मांगा गया फायदा या अनुतोष मंजूर करने के लिए उसे किसी सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करते हुए या किसी अन्य विधि नीति, ओदश, कार्यक्रम या स्कीम के अधीन उपलब्ध कोई वैकल्पिक फायदा या अनुतोष सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए, जिसके कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, परिवाद को विनिश्चित करेगा और नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।

5. सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना

(1) जनता की शिकायत का दक्षता और प्रभावी तरीके से निराकरण करने के प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम के अधीन परिवादों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्रों की स्थापना करेगी जिनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित हो सकेगी।

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

(2) The State Government may, by notification, make rules in relation to Information and Facilitation Center.

(3) Every public authority shall be responsible for the development, improvement, modernization and reform in redressal of grievance system including redressal of grievance through information technology.

6. Appeal

(1) Any person who is not provided an opportunity of hearing within the stipulated time limit or who is aggrieved by the decision of the Public Hearing Officer, may file an appeal to the first appellate authority within thirty days from the expiry of the stipulated time limit or from the date of the decision of the Public Hearing Officer:

Provided that the first appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) If the Public Hearing Officer does not comply with the provision of section 4, any person aggrieved by such non-compliance may submit complaint directly to the first appellate authority which shall be disposed of in the manner of a first appeal.

(3) The first appellate authority may order the Public Hearing Officer to provide the opportunity of hearing to the complainant within the period specified by it or may reject the appeal.

(4) A second appeal against the decision of the first appellate authority shall lie to the second appellate authority within thirty days from the date of the decision of the first appellate authority:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(5) An aggrieved person may file an appeal directly to the second appellate authority, if the Public Hearing Officer does not comply with the order of first appellate authority under sub-section (3) or the first appellate authority does not dispose of the appeal within the stipulated time limits which shall be disposed of in the manner of a second appeal.

(6) The second appellate authority may order the Public Hearing Officer or the first appellate authority or provide an opportunity of hearing to the complainant or dispose of the appeal, as the case may be, within the period specified by it or may reject the appeal.

(7) Along with the order to provide an opportunity of hearing to the complainant, the second appellate authority may impose a penalty on Public Hearing Officer in accordance with the provisions of section 7.

(8) The first appellate authority and second appellate authority shall, while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

www.LinkingLaws.com

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूचना और सुगम केन्द्रों के संबंध में नियम बना सकेगी।

(3) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिकायत के निराकरण को सम्मिलित करते हुए, शिकायत निराकरण की पद्धति में विकास, प्रोन्नति, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए उत्तरदायी होगा।

6. अपील

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत सीमा - सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है या जो लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, नियत समय तारीख की समाप्ति से या लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगाः

परन्तु प्रथम अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) यदि लोक सुनवाई अधिकारी, धारा 4 के उपबंधों का पालन नहीं करे तो ऐसे अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे ही प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा जिसे प्रथम अपील की रीति से निपटाया जायेगा।

(3) प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।

(4) प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील, प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को होगी:

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(5) कोई व्यथित व्यक्ति सीधे ही द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा यदि लोक सुनवाई अधिकारी उप-धारा (3) के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना नहीं करता है या प्रथम अपील प्राधिकारी नियत समय-सीमाओं के भीतर अपील का निपटारा नहीं करता है, उसे द्वितीय अपील की रीति से निपटाया जायेगा।

(6) द्वितीय अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने या यथास्थिति उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।

(7) द्वितीय अपील प्राधिकारी, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ, लोक सुनवाई अधिकारी पर धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(8) प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

(b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning of any public record;
(e) issuing commission for the examination of witnesses;
(f) reviewing its decisions, directions and orders; and/or
(g) any other matter which may be prescribed.

7. Penalty.

(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the Public Hearing Officer has failed to provide an opportunity of hearing within the stipulated time limit without sufficient and reasonable cause, it may impose on him a penalty which shall not be less than five hundred rupees but which shall not exceed five thousand rupees:

Provided that before imposing any penalty under this sub-section, the person on whom penalty is proposed to be imposed shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The penalty imposed by the second appellate authority under sub-section (1) shall be recoverable from the salary of the Public Hearing Officers.

(3) The second appellate authority, if it is satisfied that the Public Hearing Officer or the first appellate authority has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without assigning sufficient and reasonable cause, may recommend action against him under the service rules applicable to him.

8. Revision

The Public Hearing Officer or first appellate authority aggrieved by an order of the second appellate authority in respect of imposing of penalty under this Act may make an application for revision to the officer or authority nominated by the State Government within a period of sixty days from the date of that order. The nominated officer or authority shall dispose of the application in accordance with the prescribed procedure:

Provided that the officer or authority nominated by the State Government may entertain an application after the expiry of the said period of sixty days, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

9. Protection of action taken in good faith.

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made thereunder.

10. Bar of jurisdiction of courts.

No civil court shall have jurisdiction to hear, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act required to be heard, decided or dealt with or to be determined by the Public Hearing Officer, first appellate authority, second appellate authority or the officer nominated by the State Government.

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

(ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली तात्विक सामग्री को प्रकट करना और प्रस्तुत करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना-;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना; औरया

(छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

7. शास्ति

(1) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहा है वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी: परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा

(2) उप-धारा (1) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक सुनवाई अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी, पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।

8. पुनरीक्षण

इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख के साठ दिवस की कालावधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निपटारा करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाहियां नहीं होंगी।

10. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

किसी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई विनिश्चय या कार्रवाई करने या किसी भी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अधिकारी द्वारा सुने जाने, विनिश्चित किये जाने या अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्रवाई किये जाने या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित है।

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

11. Provisions to be in addition to existing laws.

The provisions of this Act shall in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

12. Power to make rules.

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under.

13. Removal of difficulties.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

JUDICIARY GUIDANCE PROGRAM (JGP)
Validity - 36 Months
Complete Syllabus Coverage
Mock Test Series
SubjectWise Practice Set
Recorded Lectures
Practice & Revision Sessions
Expert Mentorship (Tansukh Sir)
Bilingual Classes
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR ENROL NOW
ADVOCACY GUIDANCE PROGRAM (JGP)
Validity - 03 Months
Complete Syllabus Coverage
Civil Court Practice
Criminal Court Practice
Cyber Law Practice
Dual Mode Learning
Legal Personality Development
Structured 3 Volumes
is available at Linking App.
Scan this QR ENROL NOW

www.LinkingLaws.com

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

11. विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंध

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

12. नियम बनाने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गए समस्त नियम इनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों कोई भी उपातंरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. कठिनाइयों का निराकरण:

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोइ भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

ALL-IN-ONE PAPERATHON
For Preliminary, Mains & Interview
Covered more than 15 States' Judiciary Exams. Available in English and Hindi Edition
©

English Edition

Hindi Edition
Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com
E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at Linking App.
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)
Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com
Civil Major Laws
Criminal Major Laws
Family Laws
Civil Minor Laws
Criminal Minor Laws
Uncodified Law
www.LinkingLaws.com
Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

Form 1
FORM OF APPLICATION
(See rule 3)

To,

The Public Hearing Officer,
....
....
(Name of the Public Hearing Officer & Office Address)

1. Name of the complainant: ....
2. Father's Name: ....
3. Address: ....
Contact No. / Mobile No..................................

4. Complaint:
   (a) Benefit or relief claimed:
   ....
   ....
   .... (Separate sheet may be attached)
   (b) Name of officer and department to which complaint relates:
   ....

5. If documents annexed in support of complaint, details of documents:
   (i)
   (ii)
   (iii)

6. If complaint made earlier: Yes/No
   (If, yes give the name of officer/Department)

7. Reply received on the earlier Complaint: Yes/No
   (If yes, give details of reply)

8. Any other information which the application may like to mention: ....

Date: ....

Signature of complainant

(Please obtain acknowledgement of your complaint compulsorily)

Rajasthan JLO (JDA) 2025
Complete Syllabus Coverage
Mock Test Series | SubjectWise Practice Set | Recorded Lectures | Practice & Revision Sessions | Expert Mentorship (Tansukh Sir) | Bilingual Classes
Recorded Course Validity : 03 Months
www.LinkingLaws.com
CLICK HERE TO ENROL NOW
Linking Support 998 774 6200, 969 774 6465 (Classes)
ENROL NOW

प्ररूप 1

आवेदन का प्ररूप

(नियम 3 देखिए)

प्रेषिती,

लोक सुनवाई अधिकारी,

....

....

(लोक सुनवाई अधिकारी का नाम और कार्यालय का पता)

1. परिवादी का नामः...
2. पिता का नामः..
3. पताः...

   दूरभाष न./मोबाइल ....
4. परिवादः

   () दावाकृत फायदा या अनुतोषः

   ....

   ....

   ....

   (पृथक् पन्ना संलग्न किया जाये)

   () अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित है:
5. यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है, तो दस्तावेजों के ब्योरे:

   (i)

   (ii)

   (iii)
6. क्या पूर्व में परिवाद किया है: हां / नहीं

   (यदि हां, तो अधिकारी/विभाग का नाम का नाम दीजिए)
7. पूर्व परिवाद पर प्राप्त जवाबः हां/नहीं

   (यदि हां, तो जवाब के ब्योरे दीजिए)
8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहेः ....

   तारीखः..............

परिवादी के हस्ताक्षर

(कृपया अपने परिवाद की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें)

Rajasthan Judiciary (RJS)
Complete Syllabus Coverage
Mock Test Series | SubjectWise Practice Set | Recorded Lectures | Practice & Revision Sessions | Expert Mentorship (Tansukh Sir) | Bilingual Classes
Recorded Course Validity : 24 Months
www.LinkingLaws.com
CLICK HERE TO ENROL NOW
Linking Support 988 774 6200, 988 774 6465 (Classes)
ENROL NOW

Form 2
ACKNOWLEDGEMENT
(See rule 4)

Unique Registration No.............. **Date: ....**

1. Name of the complainant : ....
2. No. of document annexed with complaint:..........................
3. Date fixed for hearing of the complaint:............................
4. Any other particular, the public Hearing Officer may like to mention:...

Place:...............................
Date:................................

Signature of Recipient
Name and Designation with seal

Form 3
(See rule 7)

Name of the office/department: ....
No.......... Date:...............

1. Name of the Public Hearing Officer...
2. Name of the complainant:...
3. Reference of Unique Registration Number of the complaint and date:...
....
4. Subject of the Complaint:...
5. Date of Hearing:...
....

Decision

Signature of Public Hearing Officer

....

If the complainant aggrieved by the decision he may file an appeal within thirty days to the first Appellate Authority: (details of first Appellate Authority)..
....

Signature of Public Hearing Officer

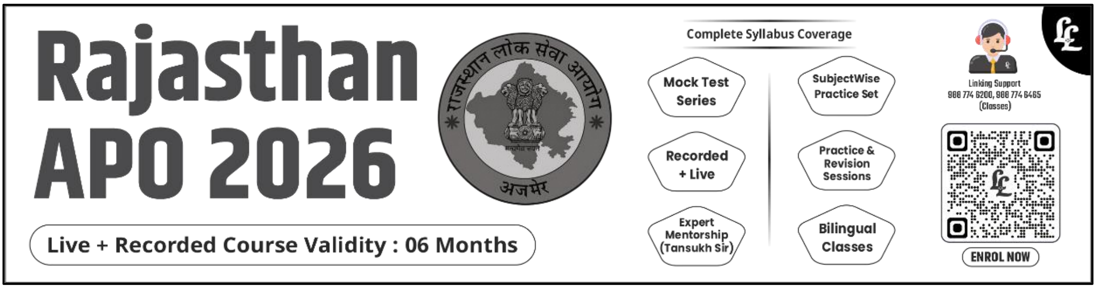

www.LinkingLaws.com
Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

प्ररूप 2

अभिस्वीकृति

(नियम 4 देखिए)

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण सं........... दिनांकः...............

1. परिवादी का नाम............
2. परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों की सं...........
3. परिवादी की सुनवाई के लिए नियत तारीख........
4. कोई अन्य विशिष्टियां जिनका लोक सुनवाई अधिकारी उल्लेख करना चाहे...........

दिनांकः............

स्थानः.............

प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और मुहर सहित पदनाम

प्ररूप 3

(नियम 7 देखिए)

कार्यालय का नाम / विभागः........... दिनांक : ......

सं...........

1. लोक सुनवाई अधिकारी का नाम ....
2. परिवादी का नामः ....
3. परिवाद के विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का संदर्भ और तारीख.......................
4. परिवाद का विषय :............................
5. सुनवाई की तारीख.................................

विनिश्चय

लोक सूचना अधिकारी के

हस्ताक्षर

यदि परिवादी विनिश्चय से व्यथित है तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी की तीस दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगाः (प्रथम अपील प्राधिकारी के ब्योरे)............................

लोक सुनवाई अधिकारी के

हस्ताक्षर

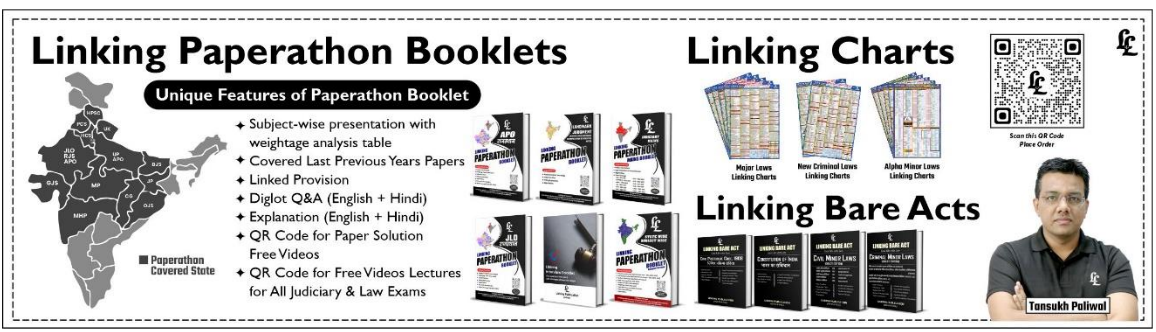

Form 4
INFORMATION RELATING TO HEARING UNDER THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012
(See rule 8)

Name of the Public Hearing Officer: ....
Office Address: ....

1	Name of the person authorised to receive the application	:	....
2	Days fix for hearing the complaint	:	Days ....
3	Stipulated time limit for disposal of complaint	:	
4	Time limit for filing the first appeal	:	Within thirty days from the expiry of stipulated time limit or from the date of decision.
5	Time limit for filing the second appeal Authority.	:	Within thirty days from the date of decision of the first Appellate
6	Name and Address of the first Appellate Authority	:	....
7	Name and Address of the first Appellate Authority	:	....
8	Time limit of communication of the decision on the complaint	:	

Note: Please obtain acknowledgement of your application Compulsorily.

Signature of Public Hearing Officer

Form-5
FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF DESIGNATED PUBLIC HEARING OFFICER
(See rule 19)

Name of the office of Public Hearing officer: ....
Month.......... Year...............

S. No.	Unique Reg. No.	Date of receipt of com-plaint	Name & Address of the Appli-cant	Subject of the Com-plaint	Last date of the stipulated time limit	Appli-cation allowed/ disallo-wed/ Transfer to other PHO	Date and details of the order passed	date of decis ion	Date of intimation the decision sent to the applicant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

www.LinkingLaws.com
Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

प्ररूप 4
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन सुनवाई में संबंधित सूचना
(नियम 8 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी का नामः ....

कार्यालय का पताः ....

1	आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	:	....
2	परिवाद की सुनवाई के लिए नियत दिवसों की संख्या	:	दिवस..........................
3	परिवाद के निपटारे के लिए नियत समय सीमा	:	
4	प्रथम अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	नियत समय-सीमा के अवसान से विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर
5	द्वितीय अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवसों के भीतर
6	प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:	....
7	द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:	....
8	परिवाद पर विनिश्चय की संसूचना की समय सीमा	:	

टिप्पणः कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

लोक सुनवाई अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररुप 5
नामनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप
(नियम 19 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी के कार्यालय का नामः....................... ....

मास............................ वर्ष..........................

क्र.स.	विशिष्ट परिवाद रजि.स.	परिवाद के प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम और पता	परिवाद का विषय	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	आवेदन मंजूर/ नामंजूर / अन्य लो.सु.अधि. को अन्तरित किया गया	पारित आदेश की तारीख और ब्यौरे	विनिश्चय की तारीख	आवेदक को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Form-6

FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF FIRST APPEAL AUTHORITY

(See rule 19)

Name of the office of the first Appellate Authority:........................

S. No.	Date of filing first appeal	Unique Reg. No. of complaint	Name & Address of appellant	Name & Address of the PHO	Last date of the stipulated time limit	Appeal accepted/ rejected	Date of Decision	date of intimation the decision sent to the appellant
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-7

(See rule 19)

FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF SECOND APPELLATE AUTHORITY

Name of the office of the second Appellate Authority:.....................................

S. No.	Date of filing second appeal	Unique Reg. No. of complaint	Name & Address of appellant	Name & address of the PHO/ first Appellate Authority	Appeal accepted/ rejected	Penalty (if any)	Date of Decision	date of intimation the decision sent to the appellant
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.LinkingLaws.com

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision

प्ररुप 6

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(नियम 19 देखिए)

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः...
....

क्र.स.	प्रथम अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि.सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो. सू. अधि. का नाम और पता	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील प्रतिगृहीत की गयी / नामंजूर	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप 7

(नियम 19 देखिए)

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः..
....

क्र.स.	द्वितीय अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि.सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो. सू. अधि./ प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	अपील प्रतिगृहीत की गयी/ नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रू.	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM-8
FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF REVISION AUTHORITY
(See rule 19)

Name and address of the office of the Revision Authority.............

S. No.	Date of filing the revision	Unique Reg. No. of complaint	Name & address of applic-ant at revision	Name & address of the PHO/ first Appellate Authority	Revision accepted/ rejected	Penalty (if any) Rs.	Date of Decision	Date of intimation the decision sent
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप 8

(नियम 19 देखिए)

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररुप

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय का नाम और पताः ....

....

क्र.स.	पुनरीक्षण फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि.सं.	पुनरीक्षण में आवेदक का नाम और पता	लो. सू. अधि./ प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	पुनरीक्षण प्रतिगृहीत किया गया/ नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रू.	विनिश्चय की तारीख	भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.LinkingLaws.com

Click Here - Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 Khallas Revision